

संख्या: 989/औस-17/राविप-11/7 रफ/86

दिनांक: 2 फरवरी, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

परिषदाज्ञा संख्या/2277-डब्ल्यू/राविप/औस-198/96-11/7 रफ/96 दिनांक 11.3.1996 द्वारा अपोलो अस्पताल, दिल्ली एवं मद्रास को कैंसर उपचार हेतु कीर्तिय शर्तों के साथ मान्यता प्रदान की गई थी। इन चिकित्सालयों में हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार व शल्य चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध है। अतः कैंसर उपचार के साथ-साथ हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार व शल्य क्रिया हेतु उक्त चिकित्सालयों में भर्ती होकर उपचार कराने की स्थिति में चिकित्सा व्यय प्रातिपूर्ति कैंसर हेतु मान्यता प्रदान किये जाने की तिथि दिनांक 11.3.1996 से अनुमन्य होगी।

अध्यक्ष

संख्या: 989 - 11/7/औस-17/राविप-11/7 रफ/86, तारीख दिनांक

- प्रतिशोध, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, समस्त क्षेत्रीय अभियन्ता/मुख्य परीक्षण प्रबन्धक/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/मुख्य अभियन्ता जांच समिति, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण।
 2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधीक्षाधी अभियन्ता, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण।
 3. मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण, शक्ति भवन, लखनऊ।
 4. समस्त वित्त परामर्शदाता एवं मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण।
 5. समस्त क्षेत्रीय/परियोजना लेखाधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण।
 6. समस्त वारेण्ट कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण।
 7. उपसचिव विनियम/अनुसोचक कार्मिक वित्त नीति, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8. परिक्षण मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध।
 9. संयुक्त सचिव जन सम्पर्क, उ०प्र०राज्य विद्युत परिक्षण, शक्ति भवन, लखनऊ।
 10. प्रबन्धक, अपोलो अस्पताल, दिल्ली।
 11. प्रबन्धक, अपोलो अस्पताल, मद्रास।

आज्ञा से,

जगदीश कुमार
निदेशक कार्मिक